

कहीं आप स्वीकृत लोड से अधिक का उपकरण तो नहीं कर रहे हैं?

अपने बिजली लोड की सही घोषणा करें

नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

संबद्ध भार के स्वघोषणा का प्रपत्र

प्रमंडल का नाम :-

क्रमांक	विवरण			
1	उपभोक्ता का नाम एवं पता			
2	उपभोक्ता के पति/पिता का नाम			
3	उपभोक्ता का पता	ग्राम/मुहल्ला/वार्ड- पंचायत- प्रखण्ड- जिला- राज्य-बिहार मोबाईल / टेलिफोन नं०-		
4	उपभोक्ता संख्या / लेखा संख्या			
5	उपभोक्ता की श्रेणी			
6	विद्युत कनेक्शन का उद्देश्य			
7	संबद्ध भार की विवरणी			
क्र० संख्या	उपकरण का नाम	संख्या	प्रति यूनिट	कुल कै०डब्लू० / एच०पी०
(i)	बल्ब		वास्तविक दर	
(ii)	ट्यूब लाइट 2' / 4'		20 / 40 वाट	
(iii)	पखा		60 वाट	
(iv)	टैप रिकॉर्डर या म्यूजिक सिस्टम		25 वाट	
(v)	वेक्यूमक्लीनर		250 वाट / वास्तविक दर	
(vi)	टेलिविजन (क) रंगीन (ख) ब्लैक एण्ड व्हाइट		100 वाट 60 वाट	
(vii)	मिक्सी		60 वाट / वास्तविक दर	
(viii)	फ्रीज		200 वाट / वास्तविक दर	
(ix)	कूलर		200 वाट / वास्तविक दर	
(x)	हीटर (खाना बनाने या पानी गर्म के लिए)		1000 वाट / वास्तविक दर	
(xi)	वांशिंग मशीन (बिना ड्रायर)		250 वाट / वास्तविक दर	
(xii)	गीजर		1500 वाट / 4000 वाट / वास्तविक दर	
(xiii)	माईक्रो ओभेन		2000 वाट	
(xiv)	एयरकंडिशनर (1टन/1.5 टन/2 टन)		1500 / 2000 / 2250 वाट या वास्तविक	

(xv)	स्लीट एयरकंडिशनर 1.5 टन/2 टन	2250 वाट/ वास्तविक	
(xvi)	कम्प्यूटर	100 वाट	
(xvii)	प्रिन्टर	150 वाट	
(xviii)	वाटर लिफ्टिंग पम्प सेट	375 वाट या वास्तविक	
(xix)	इन्वर्टर	शून्य	
(xx)	अन्य विद्युत उपकरण जो उपयुक्त में शामिल न हो		
a			
b			
c			
8.	कुल योग (एचपी/किलोवाट)		
9.	स्वीकृत भार (एचपी/किलोवाट)		
(i)	अतिरिक्त विद्युत भार (एचपी/किलोवाट)		
(ii)	भुगतान किए गए अतिरिक्त राशि की विवरणी		
	कुल राशि (रु० में) -	रसीद संख्या -	

तिथि :

उपभोक्ता का हस्ताक्षर

- नोट :-
1. खाली सॉकेट प्वाइंट/ होल्डर को भार गणना में शामिल नहीं किया जायेगा।
 2. कुलर फ्रीज, टीवी, आयरन, ओवन आदि जो खराब हैं, विद्युत आपूर्ति से संबद्ध नहीं हैं तथा कार्यरत नहीं हैं उन्हें भार गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
 3. घरेलू उपभोक्ता के मामले में दिसम्बर, जनवरी तथा फरवरी माह के लिए गीजर तथा रुम हीटर के विद्युत भार आंकलित किए जायेंगे तथा अप्रैल से लेकर सितम्बर माह तक एयर कंडिशनर (बिना हीटर के) आंकलित किए जायेंगे। हीटर सहित एयर कंडिशनर के मामले में एयर कंडिशनर का कुल भार पूरे वर्ष के लिए आंकलित किया जायेगा।
 4. किसी भी विद्युत संबंध के लिए कम से कम 1 किलोवाट का विद्युत भार आंकलित होगा तथा 500 वाट से कम का अंश निकटतम निम्नतम पूर्णांक तथा 500 वाट से अधिक भार उच्चतर/निकटतम पूर्णांक पर आंकलित की जायेगी।
 5. भार आकलन के लिए उपभोक्ता बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता, 2007 के अद्यतन एवं संशोधित प्रावधानों का प्रसंग एनेक्चर 4(1) में, कर सकते हैं।
 6. आवेदन तथा देय शुल्क जमा करते ही अतिरिक्त विद्युत भार स्वीकृत मानी जायेगी एवं बिलिंग उसी बढ़े हुए भार पर की जायेगी।
 7. यह योजना केवल उपभोक्ताओं के सुविधा हेतु लागू की जा रही है। इसका नियमित भार जाँच के दौरान पायी जाने वाली विद्युत चोरी अथवा अतिरिक्त भार से कोई लेना देना नहीं होगा। इस दौरान विद्युत अधिनियम 2003, विद्युत आपूर्ति कोड 2007 तथा अन्य सभी प्रभावी नियमों के सभी प्रावधान प्रभावी रहेंगे।

पावती रसीद

उपभोक्ता का नाम -

पता -

उपभोक्ता संख्या/ लेखा संख्या -

कुल स्वीकृत भार -

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर

नोंर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना
(बिहार सरकार का उपक्रम)

Voluntary Declaration of Load Scheme, 2013

अधिसूचना संख्या – Com/VDLS-103/2013/1464 / दिनांक 28.06.2013



**अपने बिजली लोड की
सही घोषणा करें**

और
**निश्चित हो कर घर के
सभी उपकरणों का उपयोग करें**

यह योजना 70 किलोवाट से कम के विद्युत भार वाले सभी निम्न वर्ग (एस.टी.) उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होगी।

यह योजना के तहत उपभोक्ता अपने वर्तमान विद्युत भार अथवा संविदा भार की घोषणा विहित प्रारंभ में नहीं कर सकते हैं। अधिक सूचना के लिए संबंधित क्षेत्र के विभिन्न राजस्व विभागों से संपर्क करें।

आवेदन एवं शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवम्बर 2013 तक है। इसके बाद की गई घोषणा स्वीकार नहीं की जाएगी।

सर्वेक्षण, विद्युत लोड विहित का अंतिमकृत करी के उपलब्ध कराया है।

विद्युत भार मापने का उपकरण बनाने के लिए वेब: www.nbpdcil.in
संलग्न संकेत करें अपने निश्चित विद्युत भार की उचित घोषणा करें।

यह योजना 1 जुलाई, 2013 से 30 नवम्बर, 2013 तक के अवधि के लिए ही लागू होगी।

यह योजना के तहत उपभोक्ताओं के लिये शुल्क वसूली नहीं की जाएगी।
उपरोक्त विहित भार लोड के घोषणा करने वाले सभी विद्युत भारी उपभोक्ताओं को लोड घोषणा करने से संबंधित सेवा नहीं दी जाएगी।

Voluntary Declaration of Load Scheme, 2013 (VDLS-2013)

1- सामान्य प्रावधान

- 1.1 यह योजना Voluntary Declaration of Load Scheme, 2013 के नाम से जानी जायेगी।
- 1.2 यह योजना 01 जुलाई 2013 से 30 नवम्बर 2013 तक के अवधि के लिए पूरे नोंर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध है।
- 1.3 यह योजना बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता, 2007, विद्युत अधिनियम, 2003 तथा स्टैण्डर्स ऑफ परफॉरमेंस के प्रावधानों के अधीन होगी।

2- अर्हताएं

- 2.1 यह योजना 70 किलोवाट/99 एचपी से कम के विद्युत भार अथवा संविदा भार वाले सभी निम्न विभव उपभोक्ताओं अथवा उपभोक्ता समूह के लिए उपलब्ध है।
- 2.2 इस योजना के अधीन विद्युत भार की वृद्धि 70 किलोवाट/99 एचपी से अधिक नहीं किया जाएगा तथा यह उच्च विभव उपभोक्ताओं अथवा उपभोक्ता समूह के लिए उपलब्ध नहीं होगी।
- 2.3 इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा अतिरिक्त विद्युत भार के लिए वर्ष 2013-14 के लिए प्रभावी टैरिफ आदेश के तहत देय विविध राशियों जैसे- मीटर रेंट, आवेदन शुल्क, जाँच एवं निरीक्षण शुल्क, मीटर के विस्थापन / पुनर्स्थापन का शुल्क पर्यवेक्षण मजूदरी तथा सर्विस कनेक्शन के लिए स्थापना शुल्क का अग्रिम भुगतान अतिरिक्त सुरक्षा राशि एवं प्राक्कलित राशि के साथ करना होगा।

अधिक लोड पाये जाने पर गुर्भाना का प्रावधान है! अतः जल्दी करें।

3. योजना की विवरणी

- 3.1 इस योजना के तहत उपभोक्ता अपने बड़े हुए विद्युत भार अथवा बढ़ाये जाने की घोषणा विहित प्रपत्र (दो प्रतियों में) सभी देय शुल्कों के अग्रिम भुगतान के साथ लाईसेन्सी के विभिन्न राजस्व संग्रहण काउन्टरों पर कर सकते हैं।
- 3.2 राजस्व काउन्टर द्वारा घोषणा-पत्र की द्वितीय प्रति पर प्राप्त संबंधी अभियुक्ति दर्ज करते हुए उपभोक्ता को लौटा दिया जायेगा।
- 3.3 बड़े हुए भार के अधीन निर्धारित अवधि में सभी देय शुल्कों के अग्रिम भुगतान एवं स्वघोषणा की प्रपत्र की प्राप्ति के साथ ही निम्न विभव उपभोक्ता का स्वीकृत भार स्वघोषणा के अनुरूप बढ़ा हुआ मान लिया जायेगा।

4. देय अग्रिम शुल्क की विवरणी

4.1 अग्रिम शुल्क -

क्र.सं.	विवरण	आवेदन शुल्क (रु० में)	प्रतिभूति राशि (रु० प्रति किलोवाट)	निरीक्षण शुल्क (रु० में)	मजदूरी, पर्यवेक्षण एवं स्थापना शुल्क (रु० में)	कुल राशि (रु० में)
1.	सिंगल फेज से सिंगल फेज. (घरेलु) (DS)	75	400	0	0	रु० 75 (Fixed) + 400 प्रति किलोवाट
2.	सिंगल फेज से सिंगल फेज. (गैर घरेलु) (NDS)	75	1200	0	0	रु० 75 (Fixed) + 1200 प्रति किलोवाट
3.	सिंगल फेज से थ्री फेज. (घरेलु) (DS)	200	400	200	900	रु० 1300 (Fixed) + 400 प्रति किलोवाट
4.	सिंगल फेज से थ्री फेज. (गैर घरेलु) (NDS)	200	1200	200	900	रु० 1300 (Fixed) + 1200 प्रति किलोवाट
5.	थ्री फेज (DS) से थ्री फेज (NDS)	200	1200	200	900	रु० 1300 (Fixed) + 1200 प्रति किलोवाट
6.	एलटीआईएस-I	300	1200प्रति एचपी	200	0	रु० 500 (Fixed) + 1200 प्रति एचपी
7.	एलटीआईएस-I से एलटीआई-II (25 एचपी से 99 एचपी तक)	300	1200प्रति एचपी	200	1500	रु० 2000 (Fixed) + 1200 प्रति एचपी
8.	एलटीआईएस-II	300	1200प्रति एचपी	200	0	रु० 500 (Fixed) + 1200 प्रति एचपी

अब उपभोक्ताओं के परिसर के सही विद्युत भार की जाँच युद्ध स्तर पर करा रही है। एक सामान्य गणना के अनुसार अगर 1 किलोवाट / अश्व शक्ति के विद्युत भार वाले के उपभोक्ता के यहाँ जाँच के दौरान 2 किलोवाट / अश्वशक्ति का विद्युत भार मिलता है तथा उसका मीटर ठीक पाया जाता है तो 18 घण्टे प्रतिदिन के हिसाब से विद्युत आपूर्ति की औसत अवधि मानते हुए उपभोक्ता को निम्नलिखित दण्ड देना पड़ सकता है।

क्र. सं.	घरेलु रूपया (अनुमानित)	गैर घरेलु रूपया (अनुमानित)	एल-टी-आई-एस- रूपया (अनुमानित)
1.	3000	10500	11500

यह राशि और अधिक हो जायेगी अगर निम्न विभव उपभोक्ता का स्वीकृत भार 01 किलोवाट/अश्वशक्ति से अधिक होगा अथवा मीटर बन्द पाया जायेगा।

यदि लोड नही बढ़ते है तो गुर्माना

रु 3000
07/10/13
MJP